उत्तर प्रदेश शासन
ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,
संख्या-192/2017/1644/92-2-17-06(जांच)/2016,
लखनऊ:: दिनांक:: 30 अक्टूबर, 2017

कार्यालय-ज्ञाप

ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-मथुरा में सहायक अभियन्ता के पद का कार्यभार निर्वहन के समय धनराशि रू0 10,000.00 से अधिक के कार्यादेश निर्गत कर वित्तीय अनियमितता कर शासन द्वारा प्रदत्त अधिकारों का अतिक्रमण करने के लिये प्रथम द्रष्टया उत्तरदायी पाये जाने पर शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-50/2016/1165/92-2-16-06(जांच)/2016, दिनांक 29.08.2016 द्वारा श्री एस0के0 वर्मा, सहायक अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड-मथुरा के विरूद्ध उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-7 के अंतर्गत अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुये प्रकरण की जांच हेतु अधीक्षण अभियन्ता ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, परिमण्डल-बरेली को जांच अधिकारी नामित कर शासन के पत्र संख्या-424/92-2-2017-06(जांच)/2016, दिनांक 03.04.2017 द्वारा उनके विरूद्ध आरोप पत्र निर्गत किया गया। कालांतर में अपचारी अधिकारी, श्री सन्त कुमार वर्मा अपनी अधिवर्षता आयु पूर्ण करके दिनांक 31.08.2016 को सेवानिवृत्त हो गये। तदोपरान्त शासन के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 29.08.2016 द्वारा अपचारी अधिकारी, श्री सन्त कुमार वर्मा के विरूद्ध उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली,1999 के नियम-7 के अन्तर्गत संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही को शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-116/2017/952/92-2-17-06(जाचं)/2016, दिनांक 13-07-2017 द्वारा सी0एस0आर0 के अनुच्छेद 351ए में परिवर्तित किया गया। जांच अधिकारी/अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-बरेली के पत्र दिनांक 13-06-2017 द्वारा जॉच आख्या शासन में उपलब्ध करायी गयी। जांच अधिकारी द्वारा उपलब्ध करायी गयी जॉच आख्या में अपचारी अधिकारी श्री एस0के0 वर्मा के विरूद्ध अधिरोपित आरोप संख्या-01 प्रमाणित पाया गया।

2- श्री वर्मा के विरूद्ध वित्तीय सीमा से अधिक कार्यादेश निर्गत करने हेतु विधिवत् प्रशासनिक स्वीकृति/अनुमति सक्षम अधिकारी से प्राप्त न करने का आरोप प्रमाणित पाया गया है किन्तु इसमें शासन को कोई वित्तीय हानि/शासकीय क्षति कारित किया जाना नहीं पाया गया है। प्रकरण में कोई वित्तीय क्षति न होने तथा श्री एस0के0 वर्मा के दिनांक 31.08.2016 को सेवानिवृत्त होने के दृष्टिगत उनके विरूद्ध कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 29-08-2016 द्वारा संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही जिसे शासन के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 13-07-2017 द्वारा सी0एस0आर0 के अनुच्छेद 351ए में परिवर्तित किया गया, को एतदद्वारा दण्ड रहित समाप्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

श्री राज्यपाल के आदेश से,

मो0 इफ्तेखारूद्दीन
अपर मुख्य सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-192/2017/1644(1)/92-2-2017 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

2- श्री एस0के0 वर्मा, तत्कालीन सहायक अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड-मथुरा सम्प्रति सेवानिवृत्त द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियंता, (स्था0-1) ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

3- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1

4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अवध नारायण)
अनुसचिव।

http://shasanade h.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।